उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-7/2024/आई/462041/23-1-24-23-1099/210/2023

लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2024

## अधिसूचना

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 14.12.2023 द्वारा जनपद अयोध्या के 03 अन्य जिला मार्गों को सम्मिलित कर रौनाही-ड्योढ़ी-अमानीगंज-खण्डासा-हलियापुर मार्ग, लम्बाई 41.70 कि0मी0 को प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी में उच्चीकरण किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-1061/2023/सा0-2296/23-1-2023-23-1099/196/2023, दिनांक 12.12.2023 में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में, सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण के अनुसार जनपद अयोध्या के 03 अन्य जिला मार्गों को सम्मिलित कर रौनाही-ड्योढ़ी-अमानीगंज-खण्डासा-हलियापुर मार्ग, लम्बाई 41.70 कि0मी0 को उच्चीकृत करते हुए प्रमुख जिला मार्ग में परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | उच्चीकृत प्रमुख जिला मार्ग का नाम | मार्ग का विवरण जिसका उच्चीकरण किया जा रहा है | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मार्ग का नाम | वर्तमान श्रेणी | चैनेज | | लम्बाई (कि0 मी0) | यातायात घनत्व / पी0सी0यू0 | सी0 वी0 पी0 डी0 | यातायात गणना की तिथि | स्थाई भूमि की सामान्य चौड़ाई (मी0 में) | |
| | | | | | से | तक | | | | | खुले भाग में 25 मी0 में | आबादी भाग 20 मी0 में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | अयोध्या | रौनाही-ड्योढ़ी-अमानीगंज-खण्डासा-हलियापुर मार्ग | रौनाही ड्योढ़ी मार्ग। | अ0जि0मा0 | 0.000 | 9.400 | 9.400 | 9680 | 498 | 03.08.2019-08-08-2019 | 12 | 10 |
| 2 | अयोध्या | | ड्योढ़ी अमानीगंज मार्ग। | अ0जि0मा0 | 0.000 | 15.300 | 15.300 | 8265 | 463 | 16.11.2019-21.11.2019 | 12 | 10 |
| 3 | अयोध्या | | अमानीगंज खण्डासा बीसा का पुरवा रायबरेली | अ0जि0मा0 | 0.000 | 17.000 | 17.000 | 11360 | 542 | 07.01.2020-12.01.2020 | 12 | 10 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हलियापुर मार्ग। | | | | | | | | | |

2- उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

**संख्या-7/2024/आई/462041/23-1-24-23-1099/210/2023, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
7- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
10- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
13- गार्ड फाइल

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।